



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2018/कार्तिक 8, 1940

No. 405]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2018/KARTIKA 8, 1940

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2018

फा. सं. एएआई/ऑप्स/707/जीएचआर/2018.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और नागर विमानन मंत्रालय (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियमन, 2017 के अधिग्रहण में, इस तरह के अधिग्रहण से पहले किए गए या किए जाने वाले मामलों को छोड़कर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** — (1) इन नियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2018 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (ए) “एप्रन” का अर्थ है किसी हवाई अड्डे का वह क्षेत्र जिसका उद्देश्य यात्रियों या माल लोड या अनलोड करने, ईंधन भरने, पार्किंग या रखरखाव के लिए विमान को समायोजित करना हो ;
- (बी) “ग्राउंड हैंडलिंग” का अर्थ है विमान यातायात नियंत्रण के अतिरिक्त हवाईअड्डे पर विमान के आगमन और प्रस्थान के लिए आवश्यक सेवाओं से है और इसमें शामिल हैं —
- (i) अनुसूची-1 में निर्दिष्ट गतिविधियों सहित रैंप हैंडलिंग;
- (ii) अनुसूची-2 में निर्दिष्ट गतिविधियों सहित यातायात हैंडलिंग; तथा
- (iii) समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि;
- (सी) “ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी” का अर्थ है वह इकाई जो हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो और जिसे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा सुरक्षा मंजूरी दी गई हो तथा जिसे एयरपोर्ट ऑपरेंटर द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया हो;
- (डी) “मेन्यूवरिंग एरिया” का अर्थ है किसी हवाई अड्डे या एयरोड्रोम या सिविल एन्क्लेव का वह हिस्सा जिसे विमान के टेक ऑफ, लैंडिंग और टैक्सिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा किन्तु इसमें एप्रन शामिल नहीं है;

- (ई) "मूवमेंट एरिया" का अर्थ है किसी हवाई अड्डे या एयरोड्रोम या सिविल एन्क्लेव का वह हिस्सा जो विमान के सरफेस मूवमेंट के लिए होता है इसमें मेन्यूवरिंग एरिया और एप्रन शामिल है;
- (एफ) "नियमित कर्मचारी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे नियमित कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा किसी ठेकेदार के हस्तक्षेप के बिना सीधे तौर पर नियुक्त किया गया हो और जिसे भुगतान किया जाता हो और इसमें अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) में परिभाषित अनुबंध मजदूर शामिल नहीं हैं;
- (जी) "रॉयल्टी" का अर्थ है किसी हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा प्रचालक को देय लागू भूमि या स्थान किराया के अतिरिक्त ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए देय मुआवजा, धनराशि या शुल्क;
- (एच) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची;
- (आई) "सेल्फ हैंडलिंग" का अर्थ है किसी एयरलाइन या हेलीकाप्टर ऑपरेटर या उसके 100 प्रति शत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के नियमित कर्मचारियों द्वारा अपने स्वामित्व या पट्टे पर लिए गए उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के विमान या हेलीकाप्टर से संबंधित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं;
- (जे) "टर्मिनल बिल्डिंग" का अर्थ है किसी हवाई अड्डे या सिविल एन्क्लेव का वह भवन या हिस्सा जिसका उपयोग यात्रियों के आगमन या प्रस्थान या प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है;
3. **हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**— (1) सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटर और अनुसूचित हेलीकॉप्टर ऑपरेटर सिविल एन्क्लेव सहित सभी हवाई अड्डों पर सेल्फ हैंडलिंग करने के लिए स्वतंत्र होंगे;
- (2) विदेशी एयरलाइन सिविल एन्क्लेव की छोड़कर सभी हवाई अड्डों पर प्री सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पैसेंजर चेक-इन के लिए प्रतिबंधित हवाई अड्डा टर्मिनलों पर एवीएसईसी आदेश संख्या 03/2009 दिनांकित 21 अगस्त, 2009 (संलग्नक-1 के रूप में संलग्न) के अनुच्छेद 1 में सूचीबद्ध सुरक्षा कार्य को छोड़कर यात्री और बैगेज हैंडलिंग गतिविधियों के संबंध में सेल्फ हैंडलिंग कर सकती हैं;
- (3) सिविल एन्क्लेव को छोड़कर, कार्गो टर्मिनल पर सभी कार्गो विमान प्रचालक उप-विनियम (2) में संदर्भित एवीएसईसी आदेश संख्या 03/2009 के अनुच्छेद 1 में सूचीबद्ध सुरक्षा कार्यों को छोड़कर सेल्फ हैंडलिंग कर सकते हैं;
- (4) जिस हवाई अड्डे पर प्रति वर्ष दस मिलियन या उससे अधिक यात्रियों का आवागमन होता है, वहाँ हवाई अड्डा प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ तीन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां हों जिसमें—(क) हवाई अड्डा प्रचालक या उसका संयुक्त उद्यम या उसकी सौ प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, (ख) एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम या उसकी सहायक कंपनी, और (सी) हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी शामिल हो ।
- (5) जिस हवाई अड्डे पर प्रति वर्ष दस मिलियन से कम यात्रियों का आवागमन होता है, यातायात प्रवाह तथा एयरसाइड व टर्मिनल भवन क्षमता के आधार पर, वहाँ हवाई अड्डा प्रचालक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों की संख्या सुनिश्चित करेगा, तीन से अधिक नहीं, जिसमें—(क) हवाई अड्डा प्रचालक या उसका संयुक्त उद्यम या उसकी सौ प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, (ख) एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम या उसकी सहायक कंपनी, और (सी) हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी शामिल हो ।
- (6) प्रदत्त पूंजी के पचास प्रतिशत या उससे अधिक के विदेशी स्वामित्व वाली ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को सिविल एन्क्लेव पर ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (7) सभी हवाई अड्डों पर, एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम या उसकी सहायक कंपनी अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा भुगतान की जाने वाली सबसे कम रॉयल्टी से मेल खाती हो, जब तक कि इस तरह की इकाई में बहुमत शेयर सरकार के पास है;
- (8) एयर इंडिया के संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी से संबंधित उपविनियम (4), (5) और (7) के प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक यह ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सहायक कंपनी या पचास-पचास संयुक्त उद्यम बनी हुई है और यदि यह ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सहायक कंपनी या पचास-पचास संयुक्त उद्यम नहीं रहती है तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम के तौर पर समाप्त होने की तारीख से छत्तीस महीने की अवधि तक उपविनियम (4), (5) और (7) के प्रावधान इस ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी पर उन सभी हवाई अड्डों पर लागू रहेगी जहां यह ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है;
- (9) सेल्फ हैंडलिंग के मामले में कोई रॉयल्टी देय नहीं है; तथा
- (10) सभी विमान सेवाएं, संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियां, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां पारस्परिक रूप से स्वीकार्य कार्य निष्पादन के मानकों के संतोषजनक पालन के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ एक गठबंधन में शामिल होंगी।
4. **टर्मिनल भवन या मूवमेंट क्षेत्र में प्रवेश**— विमान नियम, 1937 के नियम 90 में दिए गए के अलावा, इन विनियमों के तहत हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमत इकाइयों को भी टर्मिनल भवन या मूवमेंट क्षेत्र में प्रवेश करने और रहने की अनुमति दी जाएगी।

5. **सुरक्षा प्रोटोकॉल** - (1) सभी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं केवल इन विनियमों के तहत अनुमत इकाइयों के नियमित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाएंगी;

- (2) हैंडलिंग ठेकेदार या मैनपावर आपूर्तिकर्ता द्वारा कर्मचारियों की तैनाती की अनुमति नहीं होगी;
- (3) हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमत विमान सेवा तथा एजेंसी को तात्कालिक लागू किसी भी कानून के तहत आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा; तथा
- (4) ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी, जब तक कि वह विनियमित एजेंट की स्थिति प्राप्त या अन्यथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं होती है, तो विमानन सुरक्षा आदेश के विनियमन 3 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट पैरा 1 में सूचीबद्ध सुरक्षा कार्यों को नहीं करेगी।

6. **उपकरण-** (1) स्थान और समय की बाधाओं को दूर करने के लिए भी हवाईअड्डों पर, हवाईअड्डा ऑपरेटर पर्याप्त संख्या में कॉमन यूजर टर्मिनल उपकरण (सीयूटीई) और कॉमन यूजर सेल्फ़ सेवाएं (सीयूएसएस) उपलब्ध करवाएगा;

- (2) ऐसे हवाईअड्डे जहां यात्रियों का थ्रूपुट प्रति वर्ष डेढ़ मिलीयन या इससे अधिक है, हवाई अड्डा प्रचालक पर्याप्त संख्या में बैगेज रिकंसीलेशन प्रणाली प्रदान करेगा:

बशर्ते कि ऐसे हवाईअड्डे जहां यात्रियों का थ्रूपुट प्रति वर्ष डेढ़ मिलीयन या इससे कम है, हवाईअड्डा ऑपरेटर बैगेज रिकंसीलेशन प्रणाली की संख्या तय कर सकता है जैसा भी आवश्यक हो;

- (3) अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरपोर्ट की हैंडलिंग मैनुअल के अनुसार सभी संबंधित एजेंसियां अत्याधुनिक उपकरण तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग सुनिश्चित करेंगी; तथा
- (4) हवाईअड्डा प्रचालक, यथासंभव, हवाईअड्डे के परिसर में पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर ग्राउंड हैंडलिंग उद्देश्य के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान करेगा।

7. (1) हवाईअड्डे के सभी ऑपरेटर 31 अक्टूबर, 2018 तक अपेक्षित संख्या में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे यदि इसे भारत सरकार द्वारा तारीख को बढ़ाया नहीं जाता।

- (2) नियुक्त ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी जल्द ही अपने प्रचालनों को आरंभ करेगी और किसी भी मामले में 30 जून, 2019 से अधिक विलंब नहीं होगा।
- (3) हवाईअड्डे जहां विधिवत नियुक्त ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी पहले से ही मौजूद है और जहां इन नियमों के तहत किसी एजेंसी को अनुमति नहीं दी जा रही है, ऐसी एजेंसियों को 31 अक्टूबर, 2018 के बाद जारी नहीं रखा जाएगा जब तक कि भारत सरकार द्वारा इसकी तारीख को बढ़ाया नहीं जाता।
- (4) उप-विनियम (3) में उल्लिखित से अन्यथा किसी हवाई अड्डे या सिविल इंकलेव पर इन विनियमों के आरंभ होने पर किसी एजेंसी जिसे इन विनियमों के अंतर्गत अनुमति नहीं है, और वह ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कर रही है तो उसे 30 जून, 2019 तक या इन विनियमों के अंतर्गत विधिवत् रूप से नियुक्त ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा प्रचालन के आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, प्रचालन की अनुमति होगी।
- (5) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को हवाईअड्डा प्रवेश परमिट जारी करेगा जब तक कि इन विनियमों के अंतर्गत उन्हें प्रचालन की अनुमति होगी।

अनुसूची-I

{विनियम 2(ख)(i) देखें}

रैंप हैंडलिंग

1. विमान हैंडलिंग :

- (1) उपस्थिति ;
- (2) मार्शलिंग ;
- (3) पार्किंग ;
- (4) स्टार्टिंग ;
- (5) संरक्षा उपाय ;
- (6) हवाईअड्डों की मूरिंग ;
- (7) उड़ान डेक संचार के लिए रैम्प

2. विमान सेवाएं:

- (1) ईंधन एवं डिफ्यूजिंग हेतु संपर्क करना ;
- (2) तेल एवं अन्य तरल पदार्थों को भरने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क ;

- (3) केबिन उपकरण ;
 - (4) नियमित एवं गैर-नियमित सेवाएं ;
 - (5) कूलिंग एवं हीटिंग ;
 - (6) केबिन सामग्री का भंडारण.
- 3. विमानों की सफाई:**
- (1) बाहरी सफाई ;
 - (2) आंतरिक सफाई ;
 - (3) शौचालय सेवाएं ;
 - (4) जल सेवाएं.
- 4. लोडिंग एवं अनलोडिंग:**
- (1) यात्री बैगेज की लोडिंग तथा अनलोडिंग;
 - (2) यात्री बैगेज का ट्रांसशिपमेंट;
 - (3) लोडिंग तथा अनलोडिंग उपकरण का प्रचालन;
 - (4) यात्री स्टैपर अथवा ब्रिज की स्थिति तथा इसे निकालना ;
 - (5) इंप्लेसन एवं डिप्लेथन यात्री;
 - (6) बैगेज के ब्रेक अथवा मेक-अप;
 - (7) यात्रियों तथा क्रू की बस यातायात;
 - (8) बैगेज की थोक में लोडिंग एवं अनलोडिंग;
 - (9) केटरिंग रेंप हैंडलिंग;
 - (10) लोड नियंत्रण;
 - (11) संचार;
 - (12) उड़ान प्रचालन;
 - (13) क्रू प्रशासन.
- 5. कार्गो हैंडलिंग सेवाएं:**
- (1) विमान से अथवा तक ट्रांसशिपमेंट कार्गो की लोडिंग, ऑफ-लोडिंग, निर्यात, आयात;
 - (2) मेल हैंडलिंग सेवाएं;
 - (3) कार्गो की हैंडलिंग हेतु आवश्यक उपकरणों के प्रचालन अथवा देने अथवा उपलब्धि कराना ;
 - (4) कार्गो का ट्रांसशिपमेंट;
 - (5) कार्गो का पट्टिकाकरण तथा कंटेनरआइजेशन;
 - (6) कार्गो कंटेनर अथवा यूनिट लोड डिवाइस का ब्रेक-अप अथवा मेक-अप;
 - (7) थोक लोडिंग अथवा अनलोडिंग;
 - (8) कार्गो तथा मेल हैंडलिंग;
 - (9) सीमा-शुल्क नियंत्रण;
 - (10) दस्तावेजी हैंडलिंग;
 - (11) भौतिक हैंडलिंग आउटबाउंड अथवा इनबाउंड;
 - (12) हस्तांतरित अथवा पारगमन कार्गो;
 - (13) डाक घर मेल.

6. सपोर्ट सेवाएं:

- (1) आवास;
- (2) आटोमेशन अथवा कंप्यूटर प्रणाली;
- (3) यूनिट लोड डिवाइस कंट्रोल;
- (4) ईंधन फार्म (डिपो);
- (5) रेंप फ्यूलिंग अथवा डिफ्यूलिंग प्रचालन;
- (6) सतही परिवहन;
- (7) क्रेटरिंग सेवाएं—जनसंपर्क एवं प्रशासन.

अनुसूची-II

[विनियम 2 देखें (बी) (ii)]

यातायात हैंडलिंग**1. टर्मिनल सेवाएं:**

- (1) दस्तावेजों को संभालना और भार लोड कंट्रोल;
- (2) हवाई अड्डे के टर्मिनल पर यात्री और बैगेज हैंडलिंग;
- (3) हवाई अड्डे के टर्मिनल पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं;
- (4) एयरपोर्ट टर्मिनल पर डाक हैंडलिंग सेवाएं;
- (5) यात्री चेक-इन सहित एयरपोर्ट टर्मिनल पर यातायात सेवाएं ।

2. उड़ान संचालन:

- (1) उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में उनके विमान के लिए उपलब्ध परिचालन सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी ज्ञात परियोजना से वाहक को सूचित करना;
- (2) प्रस्थान के लिए हवाई अड्डे पर उड़ान की तैयारी;
- (3) किसी स्थान पर उड़ान की तैयारी प्रस्थान के हवाई अड्डे के रूप में अलग होती है;
- (4) इन-फ्लाइट सहायता;
- (5) उड़ान के उपरांत की गतिविधियां;
- (6) इन-फ्लाइट री-डिस्पैच;
- (7) ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़ी संचार प्रणाली;
- (8) सामान हैंडलिंग ।

3. भूतल परिवहन:

- (1) एक ही हवाई अड्डे पर अलग-अलग टर्मिनलों के बीच यात्रियों या बैगेज और कार्गो के परिवहन के लिए व्यवस्था;
- (2) यात्रियों या चालक दल के परिवहन के लिए हवाई अड्डे और शहर या अन्य सहमत बिंदुओं के बीच अपने सामान के साथ व्यवस्था ।

4. प्रतिनिधि सेवा:

- (1) स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क;
- (2) इच्छुक पार्टियों को जानकारी, वाहक विमान की आवाजाही;
- (3) सभी हवाई अड्डों पर वाहकों की ओर से भुगतान का वितरण;
- (4) पर्यवेक्षण और प्रशासन सेवाएं ।

अनुलग्नक 1

[विनियम 3 (2) देखें]

प्रतिबंधित

सं. सीएस-6 (1)/2008/डीआईवी.आई (सेक. फंक्शन)

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

(नागर विमानन मंत्रालय)

भारत सरकार

ए विंग (I एवं III मंजिल), जनपथ भवन

जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक : 21/08/2009

एवीएसईसी आदेश संख्या 03/2009

विषय : एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा कार्य ।

विमान अधिनियम 1934 की धारा 5 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उनको भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 03 जुलाई, 1997 की अधिसूचना सं. 1797 के साथ डीजीसीए के दिनांक 28/9/07 के परिपत्र सं. 9/1/2002-आईआर के पैरा-4 के साथ; तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की एंटी) विनियमन, 2007 के नियम 6 और 7 जोकि भारत सरकार के राजपत्र द्वारा दिनांकित 18.10.2007 (असाधारण) अधिसूचना सं. एएआई/लीगल/जीएचआरईजी/2007; सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस), एयरक्राफ्ट प्रचालन की सुरक्षा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, निर्देश देता है कि एयरक्राफ्ट प्रचालन से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां एयरक्राफ्ट ऑपरेटर के विमानन सुरक्षा कार्यों के रूप में मानी जाएंगी:

- (1) एयरक्राफ्ट पहुँच तक नियंत्रण;
 - (2) सामान्य सुरक्षा के साथ-साथ बम के खतरे की स्थिति के दौरान एयरक्राफ्ट सुरक्षा खोज/सुरक्षा जांच;
 - (3) पंजीकृत/असंगत सामान, कार्गो, डाक और कंपनी स्टोर आदि की स्क्रीनिंग;
 - (4) स्वीकृति तक चेक-इन काउंटर पर स्क्रीन किए गए बैगेज की निगरानी;
 - (5) एयरक्राफ्ट ऑपरेटर द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गए बिन्दु से चेक किए गए बैगेज की, इसे विमान में लोड होने तक सुरक्षा नियंत्रण
 - (6) यात्री सामान की उपलब्धता/पहचान
 - (7) बैगेज टैग, बोर्डिंग कार्ड और उड़ान दस्तावेजों की सुरक्षा;
 - (8) मिसहैंडलड/असंगत/पारगमन/स्थानांतरण बैगेज की सुरक्षा;
 - (9) एयरक्राफ्ट की सीढ़ी बिंदु पर सेकेंडरी जांच;
 - (10) पूर्व-सेटिंग चरण से विमान में लोड होने तक, खानपान वस्तुओं की सुरक्षा;
 - (11) एक्सप्रेस कार्गो, कूरियर बैग, कार्गो, कंपनी स्टोर्स, पार्सल, मेल बैग और सिटी साइड से एयरक्राफ्ट तक लाए गए सामान का सुरक्षा नियंत्रण;
 - (12) सुरक्षा क्षेत्र से निकाले सामान को प्राप्त करना, परिवहन और पुनर्प्राप्ति;
 - (13) समय-समय पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सुरक्षा कार्य ।
2. इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त गतिविधियां हवाईअड्डे पर की जाती हैं, मौजूदा अधिभारित सुरक्षा परिदृश्य के तहत एवसेक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन एवसेक कार्यों को अन्य ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता है, और इन एवसेक कार्यों को एयरक्राफ्ट ऑपरेटर/हवाईअड्डा ऑपरेटर द्वारा संचालित ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
3. उपरोक्त उल्लिखित सुरक्षा कार्य संबंधित एयरलाइंस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए जाएंगे, जिनके पास अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं होंगी और संबंधित एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, भारत के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित होंगे ।

4. विदेशी एयरलाइंस प्रत्येक एयरलाइन में बीसीएएस से विशिष्ट अनुमोदन के बाद ही उस हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन वाले भारतीय एयर कैरियर के साथ समझौते में प्रवेश कर सकती है।
5. जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा दिनांक 20 मार्च 2008 के पत्र संख्या एवी-24013/004/2007-एएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है, भारत में हवाईअड्डे से एक एयरक्राफ्ट ऑपरेटर द्वारा होल्ड बैगेज की इन-लाइन स्क्रीनिंग को संबंधित हवाई अड्डे ऑपरेटर के प्रशिक्षित और बीसीएएस प्रमाणित स्क्रीनर्स द्वारा या एनएसीआईएल या उनके हवाई अड्डे पर उनके संयुक्त उद्यम के पास उपलब्ध इन-लाइन बैगेज निरीक्षण प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
6. कार्गो सामानों के स्क्रीनिंग और सुरक्षा नियंत्रण को बीसीएएस द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बीसीएएस द्वारा अनुमोदित विनियमित एजेंटों के प्रशिक्षित और बीसीएएस प्रमाणित स्क्रीनर्स द्वारा भी किया जा सकता है।
7. सभी सुरक्षा संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइनों की होगी। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक हवाई अड्डे पर संबंधित एयरलाइनों द्वारा एक सुरक्षा समन्वयकर्ता को नामित किया जाएगा जहां से उनके पास प्रचालन होगा।
8. यह आदेश इस विषय पर सभी निर्देशों (बीसीएएस परिपत्र संख्या 4/2007 को छोड़कर) का अतिक्रमण करता है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 11ए के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- इसे सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ता/-

एम. मालवीया, आईपीएस, अपर सुरक्षा आयुक्त (ना.वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./326/18]

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2018

F.No. AAI/OPS/707/GHR-2018.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994) and in supersession of the Ministry of Civil Aviation (Ground Handling Services) Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.** – In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “apron” means a defined area of an airport intended to accommodate aircraft for the purpose of loading or unloading passengers or cargo, refuelling, parking or maintenance;
 - (b) “ground handling” means services necessary for an aircraft’s arrival at, and departure from, an airport other than air traffic control and it includes—
 - (i) ramp handling including activities as specified in Schedule-I;
 - (ii) traffic handling including activities as specified in Schedule-II; and
 - (iii) any other activity specified by the Central Government from time to time;
 - (c) “Ground Handling Agency” means an entity established for the purpose of providing ground handling service at an airport and security cleared by the Bureau of Civil Aviation Security and duly appointed by the airport operator;
 - (d) “maneuvering area” means the part of an airport or an aerodrome or civil enclave to be used for take-off, landing and taxiing of aircraft but does not include apron;
 - (e) “movement area” means part of an airport or an aerodrome or civil enclave intended for surface movement of aircraft including the maneuvering area and apron;

- (f) “regular employee” means a person employed and paid for a regular work directly by the employer without the intervention of a contractor; and does not include contract labourers as defined in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);
- (g) “royalty” means compensation, consideration or fee paid for providing ground handling services at an airport payable to the airport operator in addition to applicable land or space rentals;
- (h) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;
- (i) “self-handling” means the ground handling services relating to its own aircraft or helicopter by an airline or helicopter operator or its hundred percent owned subsidiary through its own regular employees, using equipment owned or taken on lease;
- (j) “terminal building” means the building or area of the airport or civil enclave which is used for embarkation or disembarkation or processing of passengers;

3. Ground handling services at airports.— (1) All domestic scheduled airline operators and scheduled helicopter operators will be free to carry out self-handling at all airports including civil enclaves;

- (2) A foreign airline may undertake self-handling in respect of passenger and baggage handling activities excluding security functions listed in paragraph 1 of AVSEC Order No. 03/2009 dated the 21st August, 2009 [enclosed as Annexure-I] at the airport terminals restricted to the passenger check-in at pre security hold area, at all the airports except civil enclaves;
- (3) At the cargo terminal except civil enclave, all cargo aircraft operator may undertake self handling excluding security functions listed in paragraph 1 of AVSEC Order No. 03/2009 referred to in sub-regulation (2);
- (4) At the airport having annual passenger throughput of ten million passengers per annum or above, the airport operator shall ensure that there will be three ground handling agencies including that of, – (a) the airport operator or its joint venture or its hundred percent owned subsidiary; (b) a joint venture or a subsidiary of the Air India; and (c) any other ground handling agencies appointed by the airport operator through a transparent bidding process.
- (5) At the airport having annual passenger throughput of less than ten million passengers per annum, based on the traffic output and airside and terminal building capacity, the airport operator may decide on the number of ground handling agencies, not exceeding three, including that of, – (a) the airport operator or its joint venture or its hundred percent owned subsidiary; (b) a Joint Venture or a subsidiary of Air India; and (c) any other ground handling agency appointed by the airport operator through a transparent bidding process.
- (6) A ground handling agency, with foreign ownership of fifty percent or more of its paid-up capital shall not be allowed to undertake ground handling activities at the civil enclave;
- (7) At all airports, the joint venture or the subsidiary of Air India shall match the lowest royalty paid by the other ground handling agencies, as long as majority share in such entity is with the Government;
- (8) The provisions of sub-regulations (4), (5) and (7) relating to subsidiary or joint venture of the Air India shall apply so long as such ground handling agency remains a subsidiary or a fifty-fifty joint venture of a public sector undertaking and in case such ground handling agency ceases to be subsidiary or a fifty-fifty joint venture of a public sector undertaking, the provisions of sub-regulations (4), (5) and (7) shall continue to apply to such ground handling agency at all such airports where it is operating as a ground handling agency, for a period of thirty-six months from the date such ground handling agency ceased to be a subsidiary or a joint venture of a public sector undertaking;
- (9) No royalty is payable in case of self-handling; and
- (10) All airlines, joint ventures, subsidiaries, ground handling agencies shall enter into an agreement with the airport operator for the satisfactory observance of performance of standards as may be mutually acceptable.

4. Entry into terminal building or movement area.— Except as provided in rule 90 of the Aircraft Rules, 1937, the entities permitted to undertake ground handling services at airports under these regulations shall also be allowed to enter and remain in the terminal building or movement area.

5. Security Protocol.— (1) All ground handling services shall be provided only through the regular employees of the entities permitted under these regulations;

- (2) No hiring of employees through handling contractor or manpower supplier shall be permitted;
- (3) An airline and agency allowed to carry out ground handling services at the airport shall ensure compliance to security provisions as required under any law for the time being in force; and
- (4) The ground handling agency, unless it acquire the status of regulated agent or otherwise authorised to do so by the Bureau of Civil Aviation Security, shall not undertake the security functions listed in paragraph 1 of AVSEC Order referred to in sub-regulation (2) of regulation 3.

6. Equipment.— (1) At all airports, in order to overcome space and time constraints, the airport operator shall provide adequate number of common user terminal equipment (CUTE) and common user self service (CUSS);

- (2) At the airport having annual passenger throughput of one and a half million passengers per annum or above, the airport operator shall provide adequate number of baggage reconciliation system:
Provided that where the annual passenger throughput is less than one and a half million passengers per annum, the airport operator may decide the number of baggage reconciliation system as may be necessary;
- (3) All agencies concerned shall ensure the use of state-of-art equipment and best practices in line with the International Air Transport Association Airport Handling Manual; and
- (4) The airport operator shall, as far as may be, provide adequate parking space for the equipment required for ground handling purpose, within the airport premises on mutually agreed terms and conditions.

7. (1) All airport operators shall complete the process of selection of requisite number of ground handling agencies by the 31st October, 2018 unless extended by Government of India.

- (2) The ground handling agency so appointed shall commence its operation expeditiously and in any case not later than the 30th June, 2019.
- (3) Airport where duly appointed ground handling agency is already in place and where any agency which is not permitted under these regulations is operating, such agencies shall not be allowed to continue after the 31st October, 2018 unless extended by Government of India.
- (4) Any agency which is not permitted under these regulations and carrying out the ground handling activities on the commencement of these regulations, at an airport or civil enclave other than those referred to in sub-regulation (3), shall be allowed to continue till the 30th June, 2019 or till thirty days from the commencement of operations by the ground handling agencies duly appointed under these regulations, whichever is earlier.
- (5) The Bureau of Civil Aviation Security shall issue airport entry permits to the existing ground handling agencies till such time their operations are allowed to continue under this regulation.

SCHEDULE-I

[See regulation 2(b)(i)]

Ramp Handling

1. Aircraft handling:

- (1) Attendance;
- (2) Marshalling;
- (3) Parking;

- (4) Starting;
- (5) Safety measures;
- (6) Mooring of Aircraft;
- (7) Ramp to flight deck communication.

2. Aircraft servicing:

- (1) Liaison for fuelling and defueling;
- (2) Liaison with suppliers for replenishing of oil and other fluids;
- (3) Cabin Equipment;
- (4) Routine and Non-Routine services;
- (5) Cooling and Heating;
- (6) Storage of cabin material.

3. Aircraft Cleaning:

- (1) Exterior cleaning;
- (2) Interior cleaning;
- (3) Toilet service;
- (4) Water service.

4. Loading or Unloading:

- (1) Loading and unloading of passenger baggage;
- (2) Transshipment of passenger baggage;
- (3) Operation of Loading or Unloading equipment;
- (4) Position and removing of passenger stairs or bridges;
- (5) Emplane or Deplane passengers;
- (6) Break or Make-up of baggages;
- (7) Bussing of passengers or crew;
- (8) Bulk loading or unloading of baggage;
- (9) Catering ramp handling;
- (10) Load control;
- (11) Communication;
- (12) Flight operations;
- (13) Crew administration.

5. Cargo handling services:

- (1) Loading, off-loading, export, import and transshipment cargo on or from the aircraft;
- (2) Mail handling services;
- (3) Operate or provide or arrange essential equipments for handling of cargo;
- (4) Transshipment of cargo;
- (5) Palletisation or containerisation of cargo;
- (6) Break-up or Make-up of cargo container or unit load device;
- (7) Bulk loading or unloading;

- (8) Cargo and mail handling;
- (9) Customs control;
- (10) Documentation handling;
- (11) Physical handling outbound or inbound;
- (12) Transfer or transit cargo;
- (13) Post office mail.

6. Support Services:

- (1) Accommodation;
- (2) Automation or Computer systems;
- (3) Unit load device control;
- (4) Fuel farm (Depot);
- (5) Ramp fuelling or defueling operations;
- (6) Surface transport;
- (7) Catering services – liaison and administration.

SCHEDULE-II

[See regulation 2(b)(ii)]

Traffic Handling

1. Terminal Services:

- (1) Handling documents and load control;
- (2) Passenger and baggage handling at the airport terminals;
- (3) Cargo handling services at the airport terminals;
- (4) Mail handling services at the airport terminal;
- (5) Traffic services at the airport terminals including passenger check-in.

2. Flight Operations:

- (1) Inform the carrier of any known project affecting the operational services and facilities made available to its aircraft in the areas of responsibility;
- (2) Flight preparation at the airport of departure;
- (3) Flight preparation at a point different from the airport of departure;
- (4) In-flight assistance;
- (5) Post flight activities;
- (6) In-flight re-dispatch;
- (7) Communication system associated with Ground Handling;
- (8) Material handling.

3. Surface Transport:

- (1) Arrangement for the transportation of passengers or baggages and cargo between separate terminals at the same airport;
- (2) Arrangements for passengers or crew transport together with their baggage between airport and city or other agreed points.

4. Representational Services:

- (1) Liaison with local authorities;
- (2) Information to interested parties, movement of carrier aircraft;
- (3) Disbursement of payment on behalf of the carriers at all airports;
- (4) Supervision and administration services.

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Chairman

Annexure-1

[See regulation 3(2)]

RESTRICTED

NO.CAS-6(1)/2008/Div.I (Sec.functions)

BUREAU OF CIVIL AVIATION SECURITY

(MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

GOVERNMENT OF INDIA

A' WING (I-III Floor), JANPATH BHAVAN

JANPATH, NEW DELHI

Dated: 21/08/2009

AVSEC Order No. 03/2009**Sub: Security Functions to be carried out by aircraft operators.**

In exercise of powers conferred by Section 5A of Aircraft Act 1934 delegated to him vide Government of India, Ministry of Civil Aviation Notification No. 1797 dated July 3, 1997, read with para-4 of DGCA Circular No. 9/1/2002-IR dated 28/9/07; and Regulations 6 and 7 of the Airports Authority of India (General Management, Entry for Ground Handling Services) Regulations, 2007 issued vide Gazette of India (Extraordinary) Notification NO. AAI/LEGAL/GHREG/2007 dated 18.10.2007, the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), for the purpose of securing the safety of aircraft operations, directs that the following activities **pertaining to aircraft operations** shall be treated as Aircraft Operators' Aviation Security Functions:

- i) Access control to the aircraft;
- ii) Aircraft security search/Security check during normal as well as bomb threat situation;
- iii) Screening of registered /unaccompanied baggage, cargo, mail and company stores etc. ;
- iv) Surveillance of screened baggage till acceptance at check-in counters;
- v) Security control of the checked baggage from the point it is taken into the charge of aircraft operator till loading into aircraft;
- vi) Passengers baggage reconciliation/identification
- vii) Security of baggage tag, boarding cards and flight documents;
- viii) Security of mishandled/unaccompanied/transit /transfer baggage;
- ix) Secondary checks at ladder point of aircraft;
- x) Security of catering items from pre-setting stage till loading into aircraft;
- xi) Security control of express cargo, courier bags, cargo, company stores, parcels, mail bags and escorting from city side up to aircraft;
- xii) Receiving, carriage and retrieval of security removed articles;
- xiii) Any other security functions notified by the Commissioner from time to time.

2. Despite the fact that the above activities are carried out on ground at the airports, keeping in view the AVSEC requirements under the current surcharged security scenario, these AVSEC functions cannot be mixed-up with other ground handling activities, and these AVSEC functions shall not be allowed by an aircraft operator/ airport operator to be undertaken by a Ground Handling Agency.
3. The above mentioned security functions shall be carried out by the concerned airlines' security personnel who possess all competencies required to perform their duties and are appropriately trained and certified according to the requirements of the approved Security Programme of respective Aircraft Operator and the National Civil Aviation Security Programme of India.
4. Foreign airlines may enter into agreement with Indian Air carriers having international operation from that airport only after specific approval from the BCAS in each case.
5. As approved by Ministry of Civil Aviation (GoI) vide letter No. AV-24013/004/2007-AAI dated 20th March 2008, the In-line screening of hold baggage to be transported by an aircraft operator from the airports in India, shall be carried out by trained and BCAS certified screeners of respective airport operator or NACIL or their JV at airports having In-line baggage Inspection System.
6. Screening and security control of Cargo consignments may also be undertaken by trained and BCAS certified screeners of Regulated Agents approved by the BCAS in accordance with the instructions issued by the BCAS from time to time.
7. The responsibility for all security related functions shall be with the airlines concerned. For this purpose, a security coordinator shall be designated by the respective airlines at each airport from where they shall have operations.
8. This order supersedes all instructions (except BCAS Cir. No. 4/2007) on the subject and shall come into force with immediate effect. Violation of this order will attract legal action under section 11A of Aircraft Act, 1934.

These issues with the approval of Commissioner of Security (CA)

Sd/-

M. MALAVIYA, I.P.S., Addl. Commissioner of Security (CA)

[ADVT.-III/4/Exty./326/18]